

बिहार टेक्स्टाइल और लेदर पॉलिसी, 2022 लॉन्च

चर्चा में क्यों?

8 जून, 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतशि कुमार ने पटना के अधविशन भवन में नविशक सम्मेलन (इन्वेस्टर्स मीट) सह बिहार टेक्स्टाइल और लेदर पॉलिसी, 2022 (**Bihar Textile and Leather Policy, 2022**) को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नई नीति से बिहार में उद्योग लगाने वाले नविशकों को काफी लाभ होगा। राज्य जल्द ही देश का एक प्रमुख टेक्स्टाइल हब बन जाएगा।
- टेक्स्टाइल व लेदर पॉलिसी में पूँजीगत अनुदान, रोज़गार अनुदान, वदियुत अनुदान, फ़्रेट अनुदान पेटेंट अनुदान, कौशल विकास अनुदान, समेत कई तरह के प्रोत्साहन का प्रावधान है। ऋण पर ब्याज अनुदान, एसजीएसटी का रईबर्समेंट, स्टैप शुल्क में छूट, नबिधन, भूमि संपरिवर्तन पर छूट जैसे प्रावधान हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य बिहार को इस क्षेत्र के घरेलू और वैश्विक नविशकों के लिये नविश के प्रमुख संभावित केंद्र के रूप में विकसित करना तथा कपड़ा और चमड़ा व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमियों के लिये कई प्रकार के प्रोत्साहन देना है।
- नई नीति के तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिये पूँजीगत नविश पर लागत का 15 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। इसके अलावा बजिली शुल्क का अनुदान दो रुपए प्रति यूनिट होगा।
- उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपए प्रतिमाह की दर से पाँच वर्षों के लिये अनुदान दिया जाएगा। नरियात के लिये संबंधित इकाईयों को 30 प्रतिशत परविहन सबसिडी दी जाएगी।
- नई नीति के तहत पाँच साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। अपने उत्पाद को पेटेंट कराने पर रजिस्ट्रेशन खर्च का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 लाख रुपए होगा।